रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 30 अगस्त, 1986/8 भाद्रपद, 1908

हिमाचल प्रदेश सरकार

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद्, हिमाचल प्रदेश, शिमला

अधिसूचना

शिमला–171002, 10 जुलाई, 1986

संख्या हि० प्र० (होम्यो) रैगु (ई) 1/85.—हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्ज ऐक्ट, 1979 (1980 का 3) की धारा 54(1) के खण्ड (घ) से (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद् राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक (शिक्षा) विनियम, 1986 है।

(2) ये हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—इन विनियमों में, जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(i) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्ज ऐक्ट, 1979 अभिप्रेत है;

(ii) "पाठ्यक्रम" से होम्योपैथिक पद्धति का पाठ्यक्रम अभिप्रेत है ;

(iii) "परीक्षक" से परिषद् द्वारा परीक्षा के संचालन के लिए नियुक्त परीक्षक अभिप्रेत है ;

(iv) "होम्योपैथिक महाविद्यालय या संस्था" से परिषद् से सम्बद्ध होम्योपैथिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अभिप्रेत है ;

(v) "पाठ्य विवरण" से केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् द्वारा पूर्ण भारत के लिए होम्योपैथिक चिकित्सा और शल्य पाठ्यक्रम में डिप्लोमा के लिए विहित पाठ्य विवरण और पाठ्यक्रम अभिप्रेत है; और

(vi) अन्य शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं और हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्ज ऐक्ट, 1979 और होम्योपैथिक केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 में परिभाषित हैं, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो इन अधिनियमों में उनके हैं।

3. **पाठ्यक्रम.**—(क) परिषद्, होम्योपैथिक केन्द्रीय परिषद् द्वारा पूर्ण भारत के लिए विहित नियमों और विनियमों के अनुसार होम्योपैथिक चिकित्सा और शल्य पाठ्यक्रम में डिप्लोमा प्रारम्भ करेगी। अध्ययन का पाठ्य विवरण और पाठ्यक्रम वही होगा जो होम्योपैथिक केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित किया गया है।

(ख) पाठ्यक्रम की कालावधि चार वर्ष होगी और होम्योपैथिक चिकित्सा और शल्य में अन्तिम डिप्लोमा परीक्षा पास करने के पश्चात् प्रत्येक छात्र को छः मास की अवधि के लिए अनिवार्य इन्टर्नशिप करनी होगी ।

(ग) इन्टर्नशिप महाविद्यालय से संलग्न अस्पताल में की जाएगी और जहां ऐसा अस्पताल अपने छात्रों को समायोजित न कर सकें वहां इस प्रकार बचे छात्र अपना इन्टर्नशिप राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये गए अन्य अस्पताल या औषद्यालय में कर सकेंगे।

(घ) विनिर्दिष्ट अवधि की इन्टर्नशिप पूरी होने पर और उस संस्था के अध्यक्ष की सिफारिश पर जहां इन्टर्नशिप की गई हो परिषद्, सफल अभ्यर्थियों को डिप्लोमा प्रमाण-पत्र जारी करेगी।

4. **परीक्षा संचालन के लिए सशक्त प्राधिकरण.**—होम्योपैथिक पद्धति में, होम्योपैथिक चिकित्सा और शल्य पाठ्यक्रम में डिप्लोमा परीक्षा का संचालन परिषद् द्वारा किया जाएगा।

5. **पाठ्यक्रम में प्रवेश की शर्तें.**—किसी भी अभ्यर्थी को होम्योपैथिक चिकित्सा और शल्या पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसने :—

(क) प्री-यूनिवर्सिटी (विज्ञान) या इसके समतुल्य परीक्षा रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीवन विज्ञान विषयों के साथ पास न की हो, और

(ख) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय 17 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो।

6. **शिक्षा का माध्यम.**—शिक्षा और परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी या हिन्दी होगा।

7. **परीक्षकों की नियुक्ति.**—(i) चार वर्ष के अध्ययन के पश्चात् प्राप्त डिप्लोमा के धारक या अधिनियम की अनुसूची-1 में सम्मिलित अर्हताएं रखने वाले और कम से कम तीन वर्ष का अध्यापन या प्रायोगिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति के सिवाये किसी भी व्यक्ति की परीक्षा के संचालन के लिए, परीक्षक या प्रश्न-पत्र बनाने के लिए, नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(ii) सिद्धान्त (थ्यूरी) के प्रश्न पत्र का मूल्यांकन शिमला में परिषद् के कार्यालय में किया जाएगा।

8. **महाविद्यालयों या संस्थाओं की संबद्धता.**— महाविद्यालय या संस्था की सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों पर की जाएगी :—

(i) होम्योपैथिक चिकित्सा और शल्य में पाठ्यक्रम में डिप्लोमा आरम्भ करने के लिए, नए महाविद्यालय या संस्था की सम्बद्धता के लिए प्रत्येक आवेदन, पाठ्यक्रम के प्रारम्भ होने से कम से कम तीन मास पूर्व परिषद् के रजिस्ट्रार के पास पहुंचना चाहिए ;

परन्तु रजिस्ट्रार पाठ्यक्रम के प्रारम्भ होने से साठ दिन पूर्व भी नए महाविद्यालय या संस्था की सम्बद्धता के लिए आवेदन अनुज्ञात कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाए कि आवश्यक इमारत, अन्तरंग अस्पताल, उपस्कर, छात्रावास, पुस्तकालय, फर्नीचर और आवश्यक अध्यापन कर्मचारी वृन्द विद्यमान हैं या पाठ्यक्रम का शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

(ii) नए गैर सरकारी महाविद्यालय या संस्था की सम्बद्धता के लिए आवेदन से, रजिस्ट्रार के नाम बैंक ड्राफ्ट के रूप में 5000/–रुपये की फीस संलग्न की जाएगी।

(iii) प्रत्येक सहबद्ध महाविद्यालय या संस्था ऐसे रजिस्टर रखेगी और रजिस्ट्रार को ऐसी विवरणी भेजेगी जैसा कि समय-समय पर इस निमित्त परिषद् द्वारा विहित की जाए।

(iv) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय या संस्था का आचार्य जुलाई मास में रजिस्ट्रार को वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें प्रबन्ध मण्डल, अध्यापन कर्मचारी वृन्द में परिवर्तन, यदि कोई हो, और नए कर्मचारी वृन्द की अर्हताएं, सदस्य प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या, विहित फीसों के मापमान में परिवर्तन, छात्रवृत्तियां, अन्तरंग अस्पताल की परिस्थिति, उपस्कर, पुस्तकालय, छात्रावास में छात्रों की संख्या और बिस्तरों और रोगियों की संख्या, औषधियां आदि सहित महाविद्यालय की इमारत प्रयोगशाला, उपस्कर, फर्नीचर की पर्याप्तता और अस्पताल की परिस्थिति, दर्शित की जाएगी।

(v) सम्बद्ध किए जाने के लिए उपयुक्त समझा गया गैर सरकारी महाविद्यालय या संस्था, परिषद् से सूचना प्राप्त करने पर, 2,00,000 रुपये (दो लाख रुपये) की विन्यास निधि का सृजन करेगा जो, परिषद् के रजिस्ट्रार और महाविद्यालय या संस्था की प्रबन्ध मण्डल समिति के प्रधान या सचिव के संयुक्त नाम में अनुसूचित बैंक में सावधि जमा के रूप में रखा जाएगा और इसकी रसीद परिषद् के पास जमा करवाई जाएगी।

(vi) विन्यास निधि अविकल रहेगी और जब तक महाविद्यालय या संस्था विद्यमान रहेगी, प्रबन्ध मण्डल द्वारा, चालू खर्चों के लिए या ऋण प्राप्त करने के लिए प्रतिभूति के रूप में या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, इसका उपयोग नहीं किया जाएगा।

9. **महाविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा.**—प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय या संस्था वित्त वर्ष की समाप्ति के तीन मास के भीतर अपने लेखाओं की चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा लेखा संपरीक्षा करवाएगा, और परिषद् के रजिस्ट्रार को एक प्रति प्रतिवर्ष जुलाई मास में देगा।

10. **प्रबन्ध मण्डल के असफल रहने की दशा में इन्तजाम.**—यदि प्रबन्ध मण्डल, महाविद्यालय या उसके किसी अनुभाग को बन्द करने का विनिश्चय करता है और परिषद् या राज्य सरकार की यह राय हो कि इस प्रकार बन्द किए जाने से महाविद्यालय के छात्रों को असम्यक कठिनाई होगी, तो रजिस्ट्रार, परिषद् राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से चार वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रबन्ध मण्डल का अधिक्रमण कर सकेगा और प्रशासक या तदर्थ समिति की नियुक्ति कर सकेगा जो महाविद्यालय या संस्था और इसके खाते में जमा या इसमें निहित या इसके लाभ के लिए, विन्यास की गई निधियों, सम्पत्तियों और आस्तियों के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल के सभी कृत्यों, शक्तियों और कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा।

11. (क) **सम्बद्धता वापस लेना.**—सम्बद्धता का जारी रहना, सम्बद्धता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति पर निर्भर करेगा और परिषद् निम्नलिखित किसी भी मामले में सम्बद्धता को निलम्बित कर सकेगी या वापस ले सकेगी :–

(i) निरन्तर कुप्रबन्ध या सम्बद्धता की शर्तों के अनुपालन में असफलता, और

(ii) परिषद द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुपालन में असफलता :

परन्तु रजिस्ट्रार निलम्बन का आदेश देने या सम्बद्धता वापस लेने की बजाय, यथास्थिति, परिषद् या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से विनियम 10 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा।

12. **परिषद् को निर्देश देने की शक्ति.**—इन विनियमों के पूर्वगामी उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् को समय-समय पर निर्देश जारी करने की शक्ति प्राप्त होगी।

डा० जी० के० कोहली;
सचिव।

[*Authoritative English version of this Council's Notification No. H.P. (Homoeo) Regu (E) 1/85, dated 10-7-1986 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India.*]

COUNCIL OF HOMOEOPATHIC SYSTEM OF MEDICINES, HIMACHAL PRADESH

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 10th July, 1986

No. H.P. (Homoeo) Regu (E) 1/85.—In exercise of the powers conferred by clause (*d*) to (*h*) of section 54 (1) of the Himachal Pradesh Homoeopathic Practitioners Act, 1979 (Act No. 3 of 1980) the Council of Homoeopathic System of Medicines, Himachal Pradesh, with the previous sanction of the State Government hereby makes the following regulations, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(*i*) These regulations may be called the Himachal Pradesh Homoeopathic (Educational) Regulations, 1986.

(*ii*) These shall come into force on the date of the publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Definitions.*—In these regulations, unless the context otherwise requires;—

(*i*) "Act" means the Himachal Pradesh Homoeopathic Practitioners Act, 1979;
(*ii*) "course" means the course of study in Homoeopathic Systems;
(*iii*) "examiner" means the examiner appointed by the Council for conducting the examinations;
(*iv*) "Homoeopathic College or Institution" means a Homoeopathic Medical College affiliated to the Council;
(*v*) "syllabus" means the syllabus and curriculum for Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery Course as prescribed by the Central Council of Homoeopathy for the whole of India; and
(*vi*) all other words and expressions used herein but not defined, and defined in the Himachal Pradesh Homoeopathic Practitioners Act, 1979 and Homoeopathy Central Council Act, 1973, have the meanings respectively assigned to them in these Acts.

3. *Course of Study.*—(*a*) The Council shall start Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery course in accordance with the rules and regulations prescribed by the Central Council of Homoeopathy for the whole of India. The syllabus and curriculum of the course will be the same as prescribed by the Central Council of Homoeopathy.

(*b*) The duration of the course shall be four years and after passing the final Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery examination, each student shall have to undergo a compulsory internship for a period of six months.

(*c*) The internship shall be undertaken at the Hospital attached to the College and where such Hospital cannot accommodate all its students for internship such remaining students may undertake their internship in some other Homoeopathic Hospital or Dispensary run by State or Central Government; and

(*d*) At the completion of internship of the specified period and on the recommendation of the head of the institution where internship was undertaken, the Council shall issue the Diploma Certificate to the successful candidates.

4. *Authorities empowered to conduct examination.*—The examination for Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery course in Homoeopathic System shall be conducted by the Council.

5. *Condition for admission to course.*—No candidate shall be admitted to Diploma in Homoeopathic Medicine and Surgery course unless he has,—

(*a*) passed the Pre-University (Science) or its equivalent examination with Physics, Chemistry and Biology as subjects; and

(*b*) attained the age of 17 years at the time of his admission to the first year of the said course.

6. *Medium of instruction.*—The medium of instruction and examination shall be English or Hindi.

7. *Appointment of Examiners.*—(*i*) No person other than the holder of a Diploma obtained after four years of study or a person possessing qualification included in Schedule-I of the Act and having at least 3 years teaching or practical experience shall be appointed as examiner or paper setter for conducting the examination.

(*ii*) The valuation of the theory paper shall be done at Shimla in the office of the Council.

8. *Affiliation of Colleges or institutions.*—(*i*) The affiliation of college or institution shall be made on the following conditions:—

(*i*) Every application for affiliation of a new college or institution for starting Diploma in Homoeopathic Medicines and Surgery course must reach the Registrar of the Council at least three months before the commencement of the course:

Provided that the Registrar may also allow an application for affiliation a new college or institution sixty days before the commencement of the course, if he is satisfied that the necessary building, indoor hospital, equipment, hostel, library, furniture and necessary teaching staff exists or can be made available before the commencement of the academic session of the course.

(*ii*) An application for affiliation of a new non-Government college or institution shall be accompanied by an application fee of Rs. 5,000/- in the form of Bank Draft in the name of the Registrar of the Council. This fee shall not be refundable in any case.

(*iii*) That every affiliated college or institution shall maintain such register and furnish such return to the Registrar as may be prescribed from time to time in this behalf by the Council.

(*iv*) That the Principal of evey affiliated college or institution shall submit to the Registrar annually in the month of July a report showing the changes, if any, in the management, the teaching staff and qualifications of the new teaching staff members, number of students in each class, changes in the prescribed scale of fees, scholarships, conditions of the indoor hospital, equipment, library, number of students in the hostel and adequacy of the college building, laboratories, equipment, furniture, condition of the hospital including the number of beds and patients, medicines etc.

(*v*) The non-Government college or institution considered fit for affiliation shall, on receiving information from the Council create endowment fund of Rs. 2,00,000 (Rupees two lakh) which shall be kept as fixed deposit in a scheduled Bank, in the joint name of the Registrar of the Council and the President or Secretary of the Management Committee of the college or institution and this receipt shall be deposited with the Council.

(*vi*) The endowment fund shall remain in tact and shall not be used by the management for the current expenses or as a security for obtaining a loan or for any other purpose so long as the college or institution exists.

9. *Audit of the college accounts.*—Every affiliated college or institution shall have its account audited by a Chartered Accountant within three months of the close of the financial year,

and a copy of the audited account shall be furnished to the Registrar of the Council in the month of July every year.

10. *Arrangement in the event of failure of college or institutions management.*—In case the management decides to close down the college or any section thereof and the Council or State Government is of the opinion that such closure will cause undue hardship to the students of the college, the Registrar with the prior approval of the Council/State Government may for a period not exceeding four years, supersede the management and appoint an Administrator or *ad hoc* committee which shall perform, exercise and discharge all the powers, functions and duties of the management and funds, properties and assets standing to its credit or vested in it or endowed for its benefit.

11. *Withdrawal of affiliation.*—(*a*) Continuance of affiliation shall depend upon the continued fulfilment of the conditions of affiliation and the Council may suspend or withdraw affiliation in any of the following cases :—

(*i*) continued mismanagement or failure to observe the conditions of affiliation ; and
(*ii*) failure to comply with the directions issued by the Council from time to time:

Provided that instead of ordering suspension or withdrawal of affiliation, the Registrar may with the prior approval of the Council or State Government, as the case may be, take necessary action in accordance with regulation 10.

12. *Power of the Council to issue directions.*—Without prejudice to the foregoing provisions of these regulations, the Council shall have power to issue necessary directions from time to time.

DR. G. K. KOHLI
Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।